संख्या–1817 / 33–3–2020–33 / 2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

4– समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 **लखनऊः** **दिनांक–24 जुलाई, 2020**

विषयः–15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि रू0. 2438 करोड़ टाईड ग्रान्ट के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2020–21 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–15(2)एफ0सी0–एक्स0वी0 / एफ0सी0डी0 / 2020–21, दिनांक–01.06.2020 तथा पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी0–39011 / 2 / 2017 एफ0डी0, दिनांक–02.07.2020 से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हैं। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को दो भागों में–50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अनटाइड ग्राण्ट (बेसिक अनुदान) के रुप में तथा 50 प्रतिशत धनराशि टाइड ग्राण्ट के रुप में अनुमन्य की गयी है। वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित धनराशि का व्यय, उपभोग सुनिश्चित किया जायेगाः–

1– पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूलाः–

1.1– ग्रामीण निकायों के मध्य धनराशि का वितरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1594 / 33–2020–33 / 2020 दिनांक 29.06.2020 में निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा। इस प्रकार जनपद को उपलब्ध संक्रमित धनराशि का 15 प्रतिशत अंश से सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत को 15 प्रतिशत अंश क्षेत्र पंचायतों को एवं 70 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित किया जाएगा।

2– 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनटाइड / बेसिक ग्राण्ट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपभोग हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार के पत्र सं0–F.No. G-39011/2/2017-FD दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्गत किए गए हैं, जो निम्नवत हैं:

Manoj

"Storm Water Drainage and water logging management, immunization of children, prevention of malnutrition of children, construction and repair and maintenance of roads within Gram Panchayat (GP) and inter GP, construction and repair of foot paths within GP and inter GP, construction and repair and maintenance of LED street lights and solar lighting as applicable (solar street light may be individual poles or centralized solar panel system)- within GP and inter GP, construction, repair and maintenance of crematorium and acquisition of land for crematorium and cremation grounds, acquisition of land & maintenance and upkeep of dead body burial ground, providing sufficient and high bandwidth Wi-Fi digital network services within GP, public library; recreation facilities including children's park; playground; rural haat; sports & physical fitness equipment, etc. and any other basis improved/enhanced service mandated by state government under relevant state legislation; (recurring expenditure for electricity, water, collection and disposal & recycling waste, liquid/solid waste management equipment, manpower on outsourcing basis and other administrative expenses as essential, immediate relief works in the event of natural disasters/pandemic; discharge of responsibilities specifically mandated to panchayat under various Acts/Laws e.g preparation and updation of people' s biodiversity register (PBR) under biodiversity Act, 2002"

The XV FChas not distinguished between O&M and capital expenditure within the component of locally felt needs. GPs can enter into annual maintenance contracts/service contracts for providing the services to rural inhabitants. However, expenditure from the grants on the negative list namely expenditure on items already being founded from other schemes, felicitation/cultural functions/ decorations/inauguration, Honorarium, TA/DA of elected representatives and salaries/ honorarium of existing employees/permanent, doles/awards entertainment, purchase of vehicles and air-conditioners are not allowed under this component."

3–15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाईड ग्रान्ट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपभोग हेतु निर्देश भारत सरकार द्वारा इस विषय पर निर्गत Operational Guideline **दिनांक 01.06.2020 निम्नवत हैं :**

"Tied Grants:- Tied grants i.e. 50% of the allocation will be released in two instalments by the Ministry of Finance, Department of Expenditure (Finance Commission Division) after receipt of recommendation from the Ministry of Panchayati Raj, Govt. of India. Department of Drinking Water & Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Govt. of India and MOPR will assess the following before recommending for release of grant;

(a) Status & maintenance of Open Defacation Free local body

(b) Supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling.

(c) Uploading of GPDP and details about utilization 15th F.C. funds on the website.

(d) Any other condition which Ministry of Jal Shakti may deem fit in connection with the stated objectives of the tied grant.

Tied Grants:- The tied grants can be used for the basic services of (a) sanitation and maintenance of open-defecation free (ODF) status and (b) supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling. The local bodies shall, as far as possible earmark one half of these tied grants each to these two critical services. However, if any local body has fully saturated the needs of one category, it càn utilise the funds for the other category.

3.1 टाईड ग्रान्ट में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण :

(a) सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख–रखाव की व्यवस्था।

(b) Grey Water (किचेन व बाथरूम) का Treatment एवं Management

Manoj

(c) सीवर प्रणाली (Shallow Bore/Deep Bore) का विकास तथा रख–रखाव
(d) सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था– Waste stebilization Pond आदि
(e) सेप्टेज ट्रीटमेंट व मैनेजमेंट
(f) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट– सामुदायिक कम्पोस्ट पिट का निर्माण व रख–रखाव आदि
(g) पाईप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना इसका रख–रखाव
(h) वर्षा जल का संचयन
(i) ट्रीटेड जल का recycle एवं reuse
(j) पाईप्ड पेयजल की योजनाएं ग्राम पंचायतों की सहमति से क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत द्वारा बनाई व संचालित की जा सकती है।
(k) प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट– प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक व थरमोकोल के विनिर्माण व प्रयोग को रोकने की व्यवस्था। अधिसूचना सं0–2893/33–3–2019–154–2014, टी0सी0 दिनांक 10 जनवरी, 2020 के अनुसार प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना तथा संग्रहण reuse व recycle की व्यवस्था बनाना।

4– अनटाईड/बेसिक ग्रान्ट का इस्तेमाल सर्वप्रथम पंचायत घर के निर्माण पर किया जाएगा। टाईड ग्रान्ट के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही धनराशि से सैनीटेशन मद के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत धनराशि से सर्वप्रथम सामुदायिक शौचालय के निर्माण व रख–रखाव की व्यवस्था की जाएगी।

5– अनटाईड ग्रान्ट तथा टाईड ग्रान्ट का उपभोग उपरोक्त कार्यों हेतु ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायतें कर सकेंगी।

जिला पंचायतें व क्षेत्र पंचायतें सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख–रखाव कस्बे/बाजार/हॉट व ऐसे स्थल जहॉ लोगों का आवागमन अधिक है, वहां करेंगे।

जिला पंचायतें एवं क्षेत्र पंचायतें प्रदेश के नेशनल हाईवे/स्टेट हाईवे/मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आदि जिन पर आवागमन अधिक रहता है, वहॉं उचित स्थलों पर Rest Area/ जन–सुविधा केन्द्र (शौचालय व पेयजल, जलपान, वाहनों के पार्किंग) के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं।
जिला/क्षेत्र पंचायतें अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बाजारों, हॉट पैठें, पशु बाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करेंगी।

6– **पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना क्रियान्वयन व भुगतान के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–**
समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के इण्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर (E-Gram Swaraj) के माध्यम से की जायेगी।

6.1 यह धनराशि 15वें वित्त आयोग के लिए खोले गए बैंक खाते में ही व्यवहरित की जाएगी।

6.2 सर्वप्रथम समस्त त्रिस्तरीय पंचायतें 15वें वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरुप कार्ययोजना बनाकर ई–ग्राम स्वराज साफ्टवेयर पर अपनी वार्षिक ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करेंगी।

6.3 उक्तानुसार प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई–ग्राम स्वराज के साफ्टवेयर पर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग मद में अंकित की जायेगी।

6.4 तत्पश्चात् प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) के सापेक्ष समस्त भुगतान ई–ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (जो कि पी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर से एकीकृत है) के माध्यम से किया जायेगा।

Manoj

6.5 प्रत्येक कार्य के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान (यथा–वेन्डर एवं श्रमिकों का भुगतान) सीधे उनके बैंक खातों में ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त टाईड ग्रान्ट की धनराशि रू0. 2438 करोड़ का फॉट जनपदों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों का विवरण संलग्नक पर है।

7– वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल और फाईनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

8– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर.जी.–1021/दस/2018–मित–1/2017, दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जाएगा।

9– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में आय–व्ययक के अनुदान संख्या–14 के लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम–800–अन्य व्यय–03–15वें वित्त आयोग–0301 सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या–20–सहायता (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

10– उपरोक्तानुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त टाईड ग्रान्ट की कुल धनराशि रू0. 243800.00 लाख को निम्नानुसार संलग्न फॉट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रम सं0	पंचायती राज संस्थाएं (अनुपात)	धनराशि रू0. में
1	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/–
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/–
3	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	17,06,60,00,000/–
योग		24,38,00,00,000/–

11– यह आदेश भारत सरकार के पत्र संख्या–F.15(4)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 15.07.2020 एवं वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं के0स0) अनुभाग के पत्र सं0–एफ0सी0161/दस–2020–2/2020 के कम में निदेशक, पंचायती राज द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव संबंधी पत्र संख्या–8/3863/2019–8/98/2019–20 दिनांक 23 जुलाई 2020 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2020/बी–1/149/दस–2020–231/2019, दिनांक 24.03.2020 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

उक्त के क्रम में से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जनपदों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का व्यय उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Manoj 24.7.20

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों हेतु टाइड ग्रान्ट की प्रथम किस्त की धनराशि रू. 243800.00 लाख अवमुक्त किए जाने हेतु जनपदवार फाण्ट

(धनराशि रू. में)

क. सं.	जनपद	ग्राम पंचायत	क्षेत्र पंचायत	जिला पंचायत	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	182931377	39199581	39199581	**261330539**
2	बागपत	112215305	24046137	24046137	**160307579**
3	गाजियाबाद	76034097	16293021	16293021	**108620139**
4	गौतमबुद्धनगर	36841839	7894680	7894680	**52631199**
5	बुलन्दशहर	295021173	63218823	63218823	**421458819**
6	सहारनपुर	265870284	56972204	56972204	**379814692**
7	मुजफ्फरनगर	238627820	51134533	51134533	**340896886**
8	आगरा	282380857	60510184	60510184	**403401225**
9	अलीगढ़	263678288	56502490	56502490	**376683268**
10	हाथरस	132612486	28416961	28416961	**189446408**
11	एटा	170573764	36551521	36551521	**243676806**
12	कासगंज	130075536	27873329	27873329	**185822194**
13	मैनपुरी	173631997	37206857	37206857	**248045711**
14	मथुरा	188461131	40384528	40384528	**269230187**
15	फिरोजाबाद	182169597	39036342	39036342	**260242281**
16	बरेली	329521963	70611849	70611849	**470745661**
17	बदायू	283224360	60690934	60690934	**404606228**
18	पीलीभीत	195403597	41872199	41872199	**279147995**

Manoj

19	शाहजहापुर	267340483	57287246	57287246	**381914975**
20	मुरादाबाद	210761249	45163125	45163125	**301087499**
21	अमरोहा	154641283	33137418	33137418	**220916119**
22	रामपुर	188884229	40475192	40475192	**269834613**
23	बिजनौर	314452739	67382730	67382730	**449218199**
24	लखनऊ	141525050	30326796	30326796	**202178642**
25	रायबरेली	285719776	61225666	61225666	**408171108**
26	अमेठी	202837980	43465281	43465281	**289768542**
27	हरदोई	408040368	87437222	87437222	**582914812**
28	उन्नाव	294300150	63064318	63064318	**420428786**
29	सीतापुर	441138806	94529744	94529744	**630198294**
30	खीरी	409143461	87673599	87673599	**584490659**
31	अयोध्या	225041953	48223276	48223276	**321488505**
32	अम्बेडकर नगर	228388770	48940451	48940451	**326269672**
33	सुल्तानपुर	248444574	53238123	53238123	**354920820**
34	बाराबंकी	319321332	68426000	68426000	**456173332**
35	गोण्डा	358358264	76791057	76791057	**511940378**
36	बलरामपुर	222669345	47714860	47714860	**318099065**
37	बहराइच	353759796	75805671	75805671	**505371138**
38	श्रावस्ती	119700861	25650185	25650185	**171001231**
39	प्रयागराज	462059721	99012797	99012797	660085315
40	कौशाम्बी	146302661	31350570	31350570	**209003801**
41	फतेहपुर	260393231	55798550	55798550	**371990331**
42	प्रतापगढ़	318312315	68209782	68209782	**454731879**
43	वाराणसी	216088057	46304584	46304584	**308697225**
44	चन्दौली	191185111	40968238	40968238	**273121587**

45	गाजीपुर	361731401	77513872	77513872	**516759145**
46	जौनपुर	436147335	93460143	93460143	**623067621**
47	मिर्जापुर	250798908	53742623	53742623	**358284154**
48	सोनभद्र	210234523	45050255	45050255	**300335033**
49	संतरविदासनगर (भदोही)	144278017	30916718	30916718	**206111453**
50	हमीरपुर	116324981	24926782	24926782	**166178545**
51	बांदा	183378797	39295457	39295457	**261969711**
52	चित्रकूट	112927235	24198693	24198693	**161324621**
53	महोबा	94502344	20250502	20250502	**135003348**
54	गोरखपुर	369655764	79211949	79211949	**528079662**
55	महाराजगंज	261397388	56013726	56013726	**373424840**
56	देवरिया	296723253	63583554	63583554	**423890361**
57	कुशीनगर	325782809	69810602	69810602	**465404013**
58	बस्ती	245451015	52596646	52596646	**350644307**
59	सन्त कबीर नगर	163084101	34946593	34946593	**232977287**
60	सिद्धार्थ नगर	245842421	52680519	52680519	**351203459**
61	आजमगढ़	456108839	97737608	97737608	**651584055**
62	मऊ	175841538	37680330	37680330	**251202198**
63	बलिया	312338490	66929676	66929676	**446197842**
64	कानपुर नगर	178887168	38332965	38332965	**255553098**
65	कानपुर देहात	180925725	38769798	38769798	**258465321**
66	फर्रूखाबाद	162422206	34804758	34804758	**232031722**
67	कन्नौज	153778753	32952590	32952590	**219683933**
68	इटावा	139286092	29847020	29847020	**198980132**

Manoj

69	औरैया	130786376	28025652	28025652	**186837680**
70	झांसी	155527571	33327337	33327337	**222182245**
71	ललितपुर	141914930	30410342	30410342	**202735614**
72	जालौन	133762405	28663373	28663373	**191089151**
73	शामली	102866370	22042794	22042794	**146951958**
74	संम्भल	192756038	41304861	41304861	**275365760**
75	हापुड़	102450171	21953608	21953608	**146357387**
	योग–	**17066000000**	**3657000000**	**3657000000**	**24380000000**

Manoj